राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक

महिला अधिकारिता, अजमेर

Email-poweajm@gmail.com Tel- 0145-2627154

क्रमांकः—मअ / योजना / 2020—2021 / दिनांकः—

—::सार्वजनिक सूचना::—

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के द्वाराम हिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम,2013(2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या—14) पूर्व में लागू किया जा चुका है । (अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकातर की बेबसाईट www.wcd.nic.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार की बेवसाईट www.wcd.rajasthan.in पर उपलब्ध है । अधिनियम के अध्याय—II की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता(विभाग,उधम,संस्थानों,कार्यालय आदि तथा वह सभी स्थान जो कार्य स्थल के रूप में है) को अपने कार्य स्थल के लिएएक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है । ऐसे कार्यालय / प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखण्ड स्तर पर स्थित है,आतंरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक कार्याल(जहां 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हो) अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्ययक है । साथ ही कार्य स्थल पर आतंरिक समिति का गठन आदेश(जिसमें अध्यक्ष,सदस्यों के नाम,मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है) प्रदर्शित करना अनिवार्य है ।

नियोक्ता द्वारा अधिनिम के अन्तर्गत कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजना करना तथा वार्षिक रिपोर्ट माननीय जिला कलक्टर महोदय, अजमेर / उपनिदेशक,महिला अधिकारिता,सहकार भवन के पास,ग्राम—बंदिया—जयपुर रोड़,अजमेर के पास भिजवना अनिवार्य है।

अतः सभी सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम में विहित प्रावधान के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें एवं अध्यक्ष,सदस्यों की सूचना नाम,मोबाईल नम्बर के प्रदर्शित करें एवं इस कार्यालय की ई—मेल आईडी ajmer.we@rajasthan.gov.in पर भी भिजवावें साथ ही यदि विभाग / प्रशासनिक का इकाई / उधम / संस्थान / कार्यालय में पूर्व में ,जहां पर 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो वहां समिति का गठन किया जावे एवं तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाली समस्त आंतरिक शिकायत समिति का पुर्नगठन किया जाना है । (महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध,प्रतितोष) अधिनियम,2013 अध्यान—III—6.2 में विहित प्रावधान के अनुसार हो । साथ ही पुर्नगठन से संबंधित सूचना भी इस कार्यालय की उक्त ई—मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

(विमलेश डेटाणी)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता
अजमेर।